छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2005—2006

प्रभारी मंत्री संसदीय सचिव	माननीय श्री हेमचंद यादव माननीय श्री महेश बघेल
मंत्रालय	
प्रमुख सचिव	श्री विवेक ढाँड
उप सचिव	श्री दिलीप वासनीकर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अवर सचिव	श्री व्ही.एन.व्ही. नायर श्री एम.के. इदनानी श्री एम.एम. मिंज
विभागाध्यक्ष	
प्रमुख अभियंता	श्री एन.एस. भदौरिया

भाग – एक

विभाग की संरचना

1ण1 सामान्य

शासकीय स्त्रोतों से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सिंचाई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः जल संसाधन विभाग का है ।

1ण2 संरचना

जल संसाधन विभाग में एक प्रमुख अभियंता के अंतर्गत निम्नानुसार 4 मुख्य अभियंता कार्यरत है :–

अ. कछारीय मुख्य अभियंता (दो)

मुख्य अभियंताओं का जिलेवार अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है :–

1. महानदी गोदावरी कछार, रायपुर –
   रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम

2. हसदेव कछार, बिलासपुर –
   सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, कबीरधाम (आंशिक)

ब. वृहद परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिये (दो)

1- महानदी परियोजना, रायपुर –
   कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा

2. मिनीमाता (बांगो) परियोजना, बिलासपुर

1ण3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/संभागों का विवरण

वर्तमान में जल संसाधन विभाग में एक प्रमुख अभियंता, 4 मुख्य अभियंताओं की संरचनाएँ, 9 मंडल, 60 संभाग, 291 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है । छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के परिपत्र क्र. 38/170/3–1/2004, दिनांक 06.02.04 में जारी निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय अंतिम विभाजन में प्राप्त अमलों/अराज्य स्तरीय पदों में कार्यरत अमलों के अनुसार मैदानी संरचनाओं का संशोधित सेटअप स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

1०4 विभाग का दायित्व

प्रदेश में सतही जल तथा भू–जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का मुख्य दायित्व जल संसाधन विभाग का है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- राज्य में जल संसाधन का आंकलन करना और संपूर्ण जल सेक्टर के लिये व्यापक योजना बनाने के लिये नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाईन) जारी करना।
- उपलब्ध जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना ।
- सिंचाई तथा कमांड एरिया के विकास के लिये सिंचाई तथा जल निकास कार्यों के संबंध में नीति निर्धारण करना और संसाधन प्राप्त करने की भूमिका निभाना।
- भू–जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर सिंचाई के लिये जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये नीति निर्धारण करना ।
- योजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा योजनाओं का विस्तृत रूपांकन और परियोजना प्रतिवेदन बनाना ।
- वृहद, मध्यम एवं लघु योजना, उद्वहन तथा नलकूपों का निर्माण, निर्मित सिंचाई योजनाओं का रखरखाव तथा चालन इत्यादि ।
- बांधों, नहरों का विस्तृत रूपांकन, हायड्रोलिक अनुसंधान मॉडल अध्ययन तथा निर्माण सामग्री का परीक्षण इत्यादि ।
- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना तैयार करना ।

1०5 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

प्रमुख अभियंता

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष है। उनके अंतर्गत कछार एवं परियोजनाएं कार्यरत है। उनके मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैः–

- कार्य योजना तैयार करना ।
- वित्तीय आबंटन संबंधी कार्य ।
- स्थापना से संबंधित कार्य ।
- औजार एवं संयंत्र का नियंत्रण ।
- विकास एवं अनुसंधान, नियंत्रण एवं पालन ।
- मुख्य अभियंताओं के मध्य समन्वय।

मुख्य अभियंता

अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कछार (जोन) एवं परियोजना के मुख्य अभियंता भी विभागाध्यक्ष घोषित हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों के त्वरित एवं युक्ति संगत क्रियान्वयन के लिये व्यावसायिक सलाहकार के रूप में प्रतिस्थापित है। वे अपने कार्यक्षेत्र की योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिये उत्तरदायी है ।

अधीक्षण अभियंता

अधीक्षण अभियंता, मण्डल के प्रभार में या मुख्य अभियंता के कार्यालय में संलग्न रहते हुये अपने क्षेत्र के अधीन लेखा कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के संपादन के लिये उत्तरदायी है । अधीक्षण अभियंता ऐसे सभी आदेशों एवं निर्देशों के लिये भी उत्तरदायी हैं जो उन्हें समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होते है। मैदानी अधीक्षण अभियंता मुख्यतः वृहद् परियोजनाओं में पदस्थ है और वे अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये नियंत्रण अधिकारी है।

कार्यपालन अभियंता

कार्यपालन अभियंता संभाग का शीर्ष अधिकारी है। संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के नियंत्रण में रहते हुये उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये पूर्ण उत्तरदायी है । कार्यपालन अभियंता का कार्य क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें योजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं अन्य समस्त यांत्रिकीय कार्य का समावेश है। इन कार्यों को नियंत्रण में रखते हुये सफलतापूर्वक उनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यपालन अभियंता को योजना, अनुसंधान एवं निर्माण, रख–रखाव से संबंधित समस्त कार्यों को प्रभावी ढंग से कराने का उत्तरदायित्व है ।

सहायक अभियंता

सहायक अभियंता अनुविभाग के प्रभार में रहते हुये अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति मुख्यतः उत्तरदायी है। सहायक अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से, स्वीकृत मापदण्ड, ड्राईंग एवं नियमों के अनुसार कार्यों का सम्पादन कराने के लिये भी उत्तरदायी है ।

अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुये सहायक अभियंता को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई राजस्व वसूली के लिये नहर समाहर्ता के रूप में केनाल डिप्टी कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें प्रति वर्ष सिंचाई राजस्व वसूली के दायित्व का भी निर्वहन करना है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य, अनुसंधान एवं ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है एवं वित्तीय आदान–प्रदान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया जाता हैं ।

उप अभियंता

उप अभियंता, वास्तविक रूप से अपने प्रभार के निर्माण कार्यों के निष्पादन में विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। जल कर वसूली के लिये उसे अतिरिक्त तहसीलदार के समकक्ष अधिकार प्राप्त है एवं सफल जल वितरण के लिये सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है ।

1.6 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के शेष भाग जल संसाधन में सम्पन्न हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 59.90 लाख हेक्टेयर मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है, जिसमें से 41.72 लाख हेक्टेयर मीटर उपयोग में लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की नदियां मुख्यतः वर्षा–पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्‌गम पर्वतों से है जो हिम–विहीन है ।

प्रदेश की नदियाँ सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। भौगोलिक रचना के अनुसार प्रदेश को पांच नदी कछारों में विभक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में इन नदी कछारों का जल ग्रहण क्षेत्र निम्नानुसार है :–

गंगा कछार	18, 808 वर्ग किमी
ब्राह्मणी कछार	1, 316 वर्ग किमी
नर्मदा कछार	2, 113 वर्ग किमी
महानदी कछार	75, 546 वर्ग किमी
गोदावरी कछार	39, 577 वर्ग किमी
कुल योग	1,37,360 वर्ग किमी

गंगा कछार उत्तर में, नर्मदा कछार पश्चिम में, ब्राह्मणी कछार उत्तर पूर्व में, महानदी कछार मध्य में और गोदावरी कछार दक्षिण में स्थित है । भूगर्भीय जल की मात्रा 13.677 लाख हेक्टेयर मीटर आंकलित है ।

सिंचाई के मुख्य स्त्रोत नहरें, नलकूप, तालाब, कुएँ आदि है। वर्ष 2004–05 में राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र शासकीय एवं निजी स्रोतों से औसत शुद्ध बुआई क्षेत्र का 28.10 प्रतिशत है ।

राज्य में शासकीय नहर प्रणाली सिंचाई का प्रमुख साधन है, निजी स्त्रोतों में नलकूप एवं कुएँ द्वितीय क्रम पर आते है ।

वर्ष 2000 में राज्य के गठन के समय में शासकीय स्त्रोतों द्वारा प्राप्त की गयी सिंचाई क्षमता लगभग 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जो कुल बोये गये क्षेत्र का लगभग 23% थी ।

सामान्य प्रमुख विशेषताएं –

छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.36 लाख हेक्टेयर एवं निरा बोया क्षेत्र 48.28 लाख हेक्टेयर है । प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामों में बसती है, जो मुख्यतः खेती पर निर्भर है । राज्य की सिंचाई क्षमता लगभग 43 लाख हेक्टेयर आंकी गई है। राज्य गठन के उपरांत राज्य शासन द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2004–05 में 0.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया। राज्य गठन के बाद मार्च 2005 तक 2,98,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई। मार्च 2005 की स्थिति में निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं से कुल 16 लाख 26 हजार हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ है, जो निरा बोये गये क्षेत्र का 33.68% है एवं कुल बोये गये क्षेत्र का 28.10% है। प्रदेश में वर्तमान में 4 वृहद, 32 मध्यम एवं 2152 लघु कुल 2188 योजनायें निर्मित है तथा 5 वृहद, 9 मध्यम एवं 376 लघु योजनायें निर्माणाधीन है। रू. 2915 लाख की लागत के 24 एनीकट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश की विभिन्नि नदियों में 595 एनीकट (अनुमानित लागत रू. 1657 करोड़) की कार्य योजना तैयार की गई है। इनके निर्माण से निस्तार, कृषि, उद्योगों आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के साथ भू–जल संग्रह बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2005–06 में विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रावधान एवं अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है :–

राशि करोड़ रूपये / सिंचाई हजार हेक्टेयर में

योजना	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007		वार्षिक योजना 2005–06 प्रस्तावित	
	प्रावधान	प्रस्तावित सिंचाइ लक्ष्य	प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य	सिंचाई लक्ष्य
वृहद एवं मध्यम	1994.17	200	560.68	29
लघु सिंचाई योजना	1003.95	160	267.52	33
एनीकट योजना	–	–	30.00	
बाढ़ नियंत्रण	1.88	–	0.25	
कुल योग	3000.00	360	858.45	62

भाग – दो

विभागीय बजट

2.1 जल संसाधन विभाग में वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये वृहद, मध्यम, लघु एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये राज्य योजना मण्डल द्वारा रूपये 858.45 करोड़ राशि की निर्धारित आयोजना सीमा के विरूद्ध विभागीय बजट में रूपये 714.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है ।

2.2 विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाओं से 62,100 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

2.3 आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनका लाभान्वित होने वाला क्षेत्र योजना से कुल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत है। तद्नुसार निम्न जिलों में लघु आदिवासी योजनाएं निर्माणाधीन है :–

स.क्र.	जिला	योजनाओं की संख्या
	मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार के अधीन	
1.	रायपुर	06
2.	दुर्ग	09
3.	राजनांदगांव	03
4.	धमतरी	01
5.	महासमुंद	01
	योग	20
	मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना के अधीन	
1.	बस्तर	12
2.	दंतेवाड़ा	09
3.	कांकेर	20
	योग	41

स.क्र.	जिला	योजनाओं की संख्या
	मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार के अधीन	
	मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर के अधीन	
1.	बिलासपुर	21
2.	कोरबा	13
3.	रायगढ़	06
4.	सरगुजा	35
5.	जशपुर	14
6.	कोरिया	14
	योग	103
	महायोग	164

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त निम्न जिलों में तीन मध्यम योजनाएं भी निर्माणाधीन है :—

	योजना का नाम		जिला
1.	खरखरा मोहदीपाट	—	दुर्ग
2.	कोसारटेडा	—	बस्तर
3.	बरनई	—	सरगुजा

2.4 विशेष घटक योजना

विशेष घटक के अंतर्गत, ऐसी योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्र को लाभ होता है । वर्तमान में निम्न जिलों में विशेष घटक की आठ योजनाएं निर्माणाधीन हैं :—

स. क्र.	जिला	योजना की संख्या	स. क्र.	जिला	योजना की संख्या
1.	बिलासपुर	2	4.	रायपुर	1
2.	धमतरी	3	5.	राजनांदगांव	1
3.	महासमुंद	1		कुल	8

2.5 वर्ष 2005–06 के लिये कार्यक्रम

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त निम्न जिलों में 204 सामान्य लघु योजनाएं निर्माणाधीन हैं:–

स. क्र.	जिला	योजनाओं की संख्या	स. क्र.	जिला	योजनाओं की संख्या
1.	सरगुजा	–	10.	दुर्ग	66
2.	कोरिया	–	11.	रायपुर	31
3.	बिलासपुर	6	12.	महासमुंद	14
4.	कोरबा	–	13.	धमतरी	4
5.	जांजगीर–चांपा	3	14.	बस्तर	3
6.	रायगढ़	30	15.	कांकेर	–
7.	जशपुर	–	16.	दंतेवाड़ा	–
8.	राजनांदगांव	34		कुल	204
9.	कवर्धा	13			

2.6 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजनाएॅं

भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत 4 योजनायें सम्मिलित की गई है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	योजनाएं	प्रस्तावित सिंचाई लाभ (ए.आई.बी.पी.) अंतर्गत हेक्टेयर में	(ए.आई.बी.पी.) में सम्मिलित किये जाने का वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ में) स्वीकृत राशि	31.03.04 तक किया गया व्यय (करोड़ में)	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	हसदेव बांगो परियोजना	123200	1997–98	304.74	486.82	95% पूर्ण
2.	जोंक व्यप.	9569	1999–2000	16.28	16.04	योजना पूर्ण
3.	कोसारटेडा परियोजना	11120	2002–03	45.06	24.57	61% पूर्ण
4.	बरनई परियोजना	1485	2002–03	2.60	4.93	96% पूर्ण

वर्ष 2004–05 में हसदेव बांगो परियोजना एवं बरनई परियोजना लगभग पूर्णता पर होने के कारण, इस कार्यक्रम से पृथक कर दी गई है ।

वर्ष 2004–05 में भारत सरकार से रूपये 43.98 करोड़ की राशि प्राप्त करना प्रस्तावित किया गया था परंतु कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

विभागीय बजट

राशि लाख रू. में

स.क्र.	लेखा शीर्ष	नवंबर 2000 से मार्च 2001		2001–02		2002–03		2003–04		2004–05		2005–06	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय दिसंबर 05 तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14
I	गैर योजना मद (आयोजनेत्तर)												
1.	वृहद मरम्मत	464.40	479.22	1248.40	1245.25	1810.00	1739.57	1583.00	1583.07	1410.00	1396.29	2032.30	1211.60
2.	मध्यम मरम्मत	141.88	142.87	488.40	463.65	500.00	496.27	590.00	593.60	600.00	587.63	385.60	460.29
3.	लघु मरम्मत	424.86	358.79	654.86	614.54	770.00	757.94	780.00	773.08	850.00	821.79	897.00	708.64
4.	स्थापना	1201.52	962.58	2680.79	2781.42	3272.52	2874.17	3209.40	3063.13	3231.56	3129.11	3250.90	2307.37
5.	अन्य (औजार संयंत्र उच्चंत)	160.00	155.32	23.00	61.15	37.00	32.63	35.00	37.54	35.00	20.30	41.00	40.25
	योग आयोजनेत्तर	**2392.66**	**2098.78**	**5095.45**	**5166.01**	**6389.52**	**5900.58**	**6197.40**	**6050.42**	**6126.56**	**5955.12**	**6606.80**	**4728.15**
II	योजना मद (आयोजना)												
1.	सामान्य	906.70	660.98	3441.86	2943.89	6207.50	5643.70	10982.00	10070.51	32365.60	27856.87	33290.40	15256.69
2.	ए.आई.बी.पी.	1252.00	1211.68	7566.30	7558.85	15988.00	15902.02	18222.90	17082.77	1814.85	1345.03	1345.25	374.37
3.	नाबार्ड	1591.10	1252.50	4981.52	4243.40	7038.90	6800.88	9607.40	8456.41	23135.00	20211.80	18370.00	9036.85
4.	आदिवासी उपयोजना	1769.98	896.78	2784.35	2052.03	6022.00	3384.54	4086.00	1967.11	9101.15	7621.45	9834.00	2480.79
5.	विशेष घटक योजना	36.00	-	410.00	163.69	539.42	207.18	110.00	74.97	472.00	422.79	1060.00	557.75
6.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परि.	513.00	224.99	537.20	402.12	774.00	732.49	250.00	220.30	240.00	212.10	225.00	163.32
7.	स्थापना	2421.56	1793.64	5395.48	5088.01	5609.80	5357.09	6004.70	5827.22	6091.10	5864.15	6317.32	4318.89
8.	अन्य (औजार संयंत्र एवं उच्चंत)	274.13	350.26	865.00	778.63	819.30	787.24	1528.00	1553.25	1104.00	907.57	850.00	601.91
9.	छ.ग. सिं.वि.परि. (ए.डी.बी.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.00	0.00
	योग आयोजना	**8764.47**	**6390.83**	**25981.71**	**23230.62**	**42998.92**	**38815.14**	**50791.00**	**45252.54**	**74323.70**	**64441.76**	**1400.97**	**32790.57**
	महायोग	**11157.13**	**8489.61**	**31077.16**	**28396.63**	**49388.44**	**44715.72**	**56988.40**	**51302.96**	**80450.26**	**70396.88**	**78007.77**	**37518.72**

2.7 सिंचाई राजस्व – लक्ष्य एवं उपलब्धियॉं

जल संसाधन विभाग कृषकों के लिए सिंचाई के लिए, नगरीय निकायों को घरेलू उपयोग के लिए, विद्युत ताप गृहों को उर्जा उत्पादन के लिये एवं उद्योगों को औद्योगिक उपयोग के लिये जल उपलब्ध कराता है ।

15 जून, 1999 से संपूर्ण राज्य में विद्यमान एवं प्रस्तावित सभी तालाबों, नहरों इत्यादि से जल प्रदाय के लिये निम्नलिखित तालिका के स्तंभ में वर्णित सभी फसलों के लिए उनके सम्मुख स्तंभ तीन के अनुसार जल दर लागू है।

छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाओं से कृषि जल प्रदाय की जल दर तालिका (प्रवाह एवं उदृवहन सिंचाई)		
स. क्र.	फसल का नाम	जल कर रूपये प्रति एकड़ में
(1)	(2)	(3)
1.	चांवल–खरीफ	81
	चांवल–रबी	200
2.	गेहूं अधिकतम तीन सिंचाई पलेवा के साथ	81
	प्रत्येक एक अतिरिक्त सिंचाई के लिए	25
3.	केला, पान, उद्यान की उपज, रबर प्लांट, गन्ना व धान	300
4.	हरा चारा, फसल, मूंगफली (रबी), ज्वार, मूंग, (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर (खरीफ), उड़द	50
5.	धनिया, चना, मूंगफली (रबी), मूंग (रबी), सरसों, सनफ्लावर (सूरजमुखी), सोयाबीन (रबी), तुअर (रबी)	100
6.	कपास साधारण	70
	कपास संकर	150
7.	जौ, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, ककड़ी, डेलोकेसिया, मैथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिंडी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तंबाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियॉं	200
8.	वरसीम घास (चारा फसल)	150
9.	भूमि की तैयारी के लिये सिंचाई (पलेवा)	40

2.8 कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए–जलदर (1.5.2002 से प्रभावशील)

1. शासकीय जलाशयों से औद्योगिक उपयोग के लिये किये गये जल प्रदाय की दर रू. 1.50 प्रति घन मीटर है ।

2. नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से औद्योगिक प्रयोजन के लिये किये गये जल के उपयोग के लिये 45 पैसे प्रति घनमीटर की दर से जल कर देय है ।

3. जल विद्युत उत्पादन के लिये शासकीय जलाशयों से प्रदाय किये जल की दर 15 पैसे प्रति विद्युत इकाई (किलोवाट घंटा) तथा 0.75 पैसे प्रति इकाई प्रति वर्ष एस्केलेशन की दर देय है ।

4. जल विद्युत उत्पादन के लिये नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोतों से उपयोग में लाये गये जल की दर 3 पैसे प्रति विद्युत इकाई (किलो वाट घंटा) देय है ।

विगत 5 वर्षों के सिंचाई राजस्व वसूली के आंकड़े :–

राशि लाख रू. में

स. क्र.	वर्ष	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष राशि	चालू वर्ष की मांग राशि	कुल राशि	वसूली		
					अवशेष राशि	चालू मांग से	कूल वसूली
1.	2000–01	3810.34	2333.76	6144.10	453.11	328.51	781.62
2.	2001–02	5909.73	2058.37	7968.10	1028.27	769.55	1798.32
3.	2002–03	6159.07	2018.51	8177.58	521.87	368.58	890.45
4.	2003–04	9994.05	6080.58	16074.63	1919.89	2975.74	4895.63
5.	2004–05	10987.43	6357.66	17345.09	1058.88	4485.14	5544.02

भाग – तीन
राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.1 राज्य योजनाएँ :–

वर्तमान में प्रदेश में 5 वृहद, 9 मध्यम तथा 376 लघु सिंचाई योजनाएँ निर्माणाधीन है, जिनकी कुल लागत लगभग 3133 करोड़ आंकलित है । इन योजनाओं में अब तक रूपये 2776 करोड़ व्यय किया गया है, तथा इन्हें पूर्ण करने के लिये अवशेष रूपये 357 करोड़ रूपये रह जाता है । इन निर्माणाधीन योजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश की वर्तमान निर्मित सिंचाई क्षमता शासकीय स्त्रोतों से 16.26 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 18.97 लाख हेक्टेयर हो जाएगी । जल संसाधन विभाग द्वारा विकास कार्यों को निरंतर गति देने के लिये विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का वर्ष 2005–06 का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

(1) वृहद योजना – छत्तीसगढ़ में 4 वृहद परियोजनायें निर्मित है एवं 5 वृहद परियोजनाएँ निर्माण के अग्रिम चरण में है ।

(2) मध्यम योजनाएँ – विभाग के अंतर्गत 32 योजनाएँ निर्मित है एवं 9 मध्यम परियोजनाएँ निर्माण के अग्रिम चरण में है ।

(3) लघु योजनाएँ – विभाग के अंतर्गत 2152 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं एवं 376 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन है।

पूर्ण/निर्माणाधीन योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता का विवरण
(मार्च 2005 की स्थिति में)

क्षमता – मि.घ.मी. में
क्षेत्र – हेक्टेयर में

स क्र	योजनाओं का प्रकार	संख्या			उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	रूपांकित क्षेत्र			निर्मित क्षेत्र		
		निर्मित	निर्माणाधीन	योग		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	वृहद	4	5	9	5218.82	739268	227250	966518	663799	193874	857673
2	मध्यम	32	9	41	1292.378	232129	36238	268367	199424	26158	225582
3	लघु	2152	376	2528	1288.949	604963	59542	664505	498991	44387	543378
	योग	2188	390	2578	7800.147	1576360	323030	1899390	1362214	264419	1626633

उपरोक्तानुसार पूर्ण योजनाओं एवं निर्माणाधीन योजनाओं से लगभग 16.26 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है।

निर्माणाधीन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

3.1.1 वृहद योजनायें :—

स. क्र.	योजना का नाम	जिला	प्रशा. स्वी. (रू. करोड़)	प्रारंभ वर्ष	रूपांकित क्षमता (हे.)	प्राप्ति (हे.)	बजट प्रावधान (05—06) (रू. करोड़)
1.	हसदेव बांगो परियोजना	कोरबा/ जांजगीर चांपा	1312.32	1982	433500	401441	70.05
2.	केलो परियोजना	रायगढ़	98.50	2003	34555	—	5.00
3.	महानदी परियोजना (समूह)	रायपुर/ ध्मतरी	566.88	1971	264311	258808	61.29
4.	सोंढूर परियोजना	धमतरी	132.00	1982	12260	11480	41.50
5.	राजीव आगमेंटेशन फेस —।।	रायपुर	127.00	2004	28000	—	15.00
	योग		2236.70		772626	671729	192.84
	जीर्णोद्धार						
1.	तांदुला (लाइनिंग)	दुर्ग	51.03	2003	13896	8076	30.00
2.	पैरी परियोजना नहर प्रणाली	रायपुर	134.49	2004	50967	—	0.65
3.	कोडार जलाशय परि. लाईनिंग आदि	महासमुंद	47.68	2005	23472	—	2.00
	योग		233.20		88335	8076	32.65

3.1.2 मध्यम योजनायें :—

स. क्र.	योजना का नाम	जिला	प्रशा. स्वी. (रू. करोड़)	प्रारंभ वर्ष	रूपांकित क्षमता (हे.)	प्राप्ति (हे.)	बजट प्रावधान (रू. करोड़)
1.	मोंगरा बैराज	राजनांदगांव	76.00	2003	11500	—	60.00
2.	सुतियापाट	कबीरधाम	36.95	2003	6960	—	10.00
3.	अपर जोंक (अंतर्राज्यीय)	महासमुंद	9.89	1989	810	300	5.00
4.	खरखरा मोहदीपाट फेस 1 व 2	दुर्ग/ राजनांदगांव	43.81	1999	12145	—	11.20
5.	बरनई	सरगुजा	24.09	1985	2820	2085	1.10
6.	कोसारटेडा	बस्तर	60.84	—	11120	—	14.45
7.	कर्रानाला	कबीरधाम	39.20	2004	4100	—	10.50
8.	सूखानाला	राजनांदगांव	45.73	2004	6270	—	10.00
9.	घुमरिया	राजनांदगांव	24.78	2004	3200	—	5.00
	योग		361.29		58925	2385	127.25
	जीर्णोद्धार						
1.	सरोदा (नहर लाइनिंग) ई.आर.एम.	कबीरधाम	4.10	—	6200	—	3.50

3.1.3 प्रदेश के जलाशयों में उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर वर्ष 2005–06 में खरीफ सिंचाई के 11.65 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 10.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है।

3.2 केन्द्र सहायतित : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

3.2.1 भारत सरकार ने निर्माणाधीन उन सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं जिनके कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर है और अन्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाऍं जो निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं और जिनसे अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकता है, के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिये वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया था। इस कार्यक्रम में केवल उन्हीं परियोजनाओं पर विचार किया जाता है जिन्हें योजना आयोग की निवेश स्वीकृति प्राप्त है। जिन परियोजनाओं को नाबार्ड जैसी एजेंसियों से पहले ही सहायता प्राप्त हो रही है वे इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं है तथापि, ऐसी परियोजनाओं के घटक जो नाबार्ड द्वारा इस सहायता के तहत शामिल नहीं है, उनको इस कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाता है। वृहद परियोजनाओं को क्रमबद्ध रूप से पूरा करने के लिए सहायता दी जाती है ताकि कम निवेश से ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए ।

3.2.2 केन्द्र सहायतित त्वरित लाभ सिंचाई योजनाएं (ए.आई.बी.पी.)

स. क्र.	परियोजना का नाम	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत प्रस्तावित (रू. करोड़)	मार्च 2005 तक केन्द्रीय ऋण सहायता (रू. करोड़)	वर्ष 2005–06 के लिए प्रस्तावित		ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (हे. में)	रिमार्क
				केन्द्रीय ऋण सहायता (रू. करोड़)	कुल केन्द्र अंश+राज्य अंश (रू. करोड़)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हसदेव बांगो	304.74	243.78	53.33	80.00	123200	95% कार्य पूर्ण
2.	शिवनाथ व्यप.	–	–	–	–	5230	6/02 में पूर्ण
3.	जोंक व्यप.	16.28	6.935	–	–	9569	3/05 में पूर्ण
4.	कोसारटेडा	45.06	7.71	11.20	16.80	11120	कार्य प्रगति पर
5.	बरनई	–	2.65	–	–	1485	95% कार्य पूर्ण
6.	महानदी परियोजना	235.67	–	–	–	–	स्वीकृति अपेक्षित

3.3 केन्द्र शासन की वाटर बाडीज की जीर्णोद्धार योजना :–
(रिनोवेशन आफ वाटर बाडीज)

वर्षो पहले निर्मित सिंचाई योजनाओं में टूट फूट, सिल्ट आदि जमा होने के कारण पूरी सिंचाई नहीं हो पाती है । ऐसी सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़ कर पूरी सिंचाई विकसित करने के लिए केन्द्र शासन द्वारा वाटर बाडीज जीर्णोद्धार योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत जिला कबीरधाम की 11 लघु सिंचाई योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित कर रू. 281.00 लाख की स्वीकृति की गई है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत कबीरधाम जिले की (1) नेवारी (2) डबराभाट (3) नकटा (4) अमलीपारा (5) भण्डार (6) रेगाखार (7) भैयानाला (8) मिनमिनिया (9) भोरमदेव (10) कर्रानाला एवं (11) हथलेखा जलाशय योजनाएं सम्मिलित है । इन योजनाओं से 917 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पुनः सृजित होना प्रस्तावित है ।

3.4 विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :–

3.4.1 राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना फेस–2 (विश्व बैंक सहायतित)

विश्व बैंक सहायतित राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना फेस 2 में मुख्यतः संकलित डाटा के अधिकाधिक एवं उचित उपयोग से राज्य में जल संसाधनों के विकास की आयोजना एवं रू पांकन, उन्नयन तथा डिसीशन सपोर्ट एवं डिजाइन एड (कम्पयूटर जनित) आदि कार्य सम्मिलित हैं।

परियोजना के मुख्य अंग :

1. वर्तमान हाईड्रोलाजिकल डाटा संस्धानों के हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर क्षमताओं का उन्नयन व सुदृढ़ीकरण, हाईड्रोलाजिकल सूचनाओं के प्रसारण द्वारा उपयोग कर्ता व आमजनो को अवगत कराना तथा
2. सतही जल, भूजल की गुणवता हेतु हाईड्रोलाजिकल डिजाइन एड का मानकीकरण सम्मिलित हैं। इस योजना की स्वीकृति विश्व बैंक से प्राप्त हो चुकी हैं तथा भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं।

इस परियोजना की कुल लागत रू. 21.51 करोड़ हैं।

3.4.2 छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना (एशियन विकास बैंक सहायतित)

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पुराने सिंचाई जलाशयों में सुधार कर सिंचित रकबे में वृद्धि सहित कृषकों को उन्नत सिंचाई सेवाओं, बेहतर जल प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि पद्धति के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की 200 लघु एवं 20 मध्यम परियोजनाओं का पुनरोद्धार एवं उन्नयन, 500 पुरानी सिंचाई योजनाओं के स्लूस द्वारों की मरम्मत, जल उपभोक्ता संथाओं के लिए सघन प्रशिक्षण, जल उपभोक्ता संथाओं एवं कृषि पद्धति के सुधार हेतु कृषकों की क्षमता का

विकास, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण आदि कार्य सम्मिलित हैं। सात वर्षीय इस परियोजना की लागत रू. 300 करोड़ है तथा इसे अप्रेल 2006 से प्रारंभ किया जाना संभावित हैं।

3.5 नाबार्ड पोषित योजनाएं :

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था के अभाव में कई निर्माणाधीन योजनायें वर्षों से अपूर्ण स्थिति में चली आ रही थीं । इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिये वर्ष 1995–96 से नाबार्ड से सहायता प्राप्त कर इन्हें पूर्ण करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया । संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

■ मार्च 2005 तक नाबार्ड द्वितीय चरण से दशम चरण तक स्वीकृत योजनाएँ (संख्या)	–	302
• नाबार्ड ऋण स्वीकृति की कुल लागत	–	रू. 605.23 करोड़
• नाबार्ड अंतर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन	–	1.50 लाख हे.
• दिसम्बर 2005 तक पूर्ण कुल य ोजनायें	–	174
• अतिरिक्त निर्मित सिंचाई क्षमता	–	0.62 लाख हे.
■ शेष निर्माणाधीन योजनाएँ	–	128
■ शेष योजनाओं के पूर्ण करने का कार्यक्रम (संख्या)		
• मार्च 2006 तक	–	61
• 2006–07 में	–	67
कुल	–	128
■ 302 योजनाओं की पुनरीक्षित लागत	–	रू. 828.41 करोड़
• मार्च 2005 तक व्यय	–	रू. 436.88 करोड़
• दिसम्बर – 2005 तक व्यय	–	रू. 519.58 करोड़
• शेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिये आवश्यक राशि	–	रू. 308.83 करोड़

<u>नाबार्ड योजनाएँ एक नजर में</u>

माह–दिसंबर 2005
सिंचाई क्षमता–हेक्टयर में
राशि – करोड़ रूपयों में

स.क	नाबार्ड स्वीकृति चरण	योजनाओं की संख्या	नाबार्ड अंश	राज्य शासन का अंश	कुल स्वीकृत राशि	नाबार्ड अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई क्षमता	12/05 तक पूर्ण की गई योजनाएँ	नाबार्ड अंतर्गत निर्मित सिंचाई क्षमता	03/05 तक कुल व्यय	चालू वित्तीय वर्ष में अद्यतन व्यय 12/05 तक	कुल व्यय (10+11)	चालू वित्तीय वर्ष का बजट प्रावधान	चालू वित्तीय वर्ष की कुल आवश्यकता		प्रतिपूर्ति दावे की स्थिति				अमान्य राशि का विवरण				
													पुराने कार्य	नये कार्य	प्रस्तुत	परीक्षित	मान्य दावें अग्रिम सहित	अमान्य (17–18)	स्वीकृति से अधिक व्यय	शासन का हिस्सा	फिक्स चार्जेस	अन्य व्यय/ वि./यां. व्यय	अग्रिम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
1	द्वितीय (96–97)	5 (लघु–5)	4.40	0.66	5.06	2118	5	2118	7.40	-	7.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	तृतीय (97–98)	22 (मध्यम–1 लघु–21)	21.64	2.62	24.26	11091	22	11091	31.18	-	31.18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	चतुर्थ (98–99)	34 (लघु–34)	52.46	9.25	61.71	19687	32	17215	78.05	5.16	83.21	3.10	-	-	86.02	70.58	51.74	18.84	18.75	-	0.204	0.682	5.165
4	पंचम (99–00)	7 (लघु–7)	7.57	1.01	8.58	5220	7	5220	8.51	0.26	8.77	0.00	-	-	8.51	7.84	6.64	1.20	1.044	0.004	0.205	0.048	0.653
5	षष्टम (00–01)	24 (मध्यम–1 लघु–23)	39.78	6.16	45.94	10972	23	8956	41.42	1.27	42.69	1.87	-	-	38.55	39.71	32.97	6.74	7.337	0.826	0.140	0.28	6.225
6	सप्तम (01–02)	24 (लघु–24)	25.26	4.22	29.48	9003	21	8387	28.11	1.23	29.34	1.60	-	-	24.11	24.94	21.53	3.41	3.74	0.340	0.186	0.003	3.079
7	अष्टम (02–03)	98 (वृहद–1 मध्यम–1 लघु–96)	150.94	24.34	175.28	40216	54	7282	102.33	24.64	126.97	41.25	-	-	66.45	95.36	80.35	15.01	11.17	3.209	1.03	0.158	0.000
8	नवम (03–04)	49 (वृहद–1 मध्यम–1 लघु–47)	166.42	24.20	190.62	37290	8	866	136.89	44.93	181.82	62.65	-	-	39.36	118.51	91.20	27.31	22.64	4.07	0.355	0.25	0.000
9	दशम (04–05)	39 लघु 39	62.53	1.77	64.30	15380	2	1621	2.99	7.88	10.87	13.82			8.08	3.26	2.72	0.54	-	-	-	-	-
योग		302 (वृहद–2 मध्यम–4 लघु–296)	**531.00**	**74.23**	**605.23**	**150977**	**174**	**62756**	**436.88**	**85.37**	**522.25**	**124.29**	**0.00**	**0.00**	**271.08**	**360.20**	**287.15**	**73.05**	**64.68**	**8.45**	**2.12**	**1.42**	**15.12**

भाग चार

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)

4.1 राज्य के विकास में जल संसाधनों का विशिष्ट एवं महत्व पूर्ण योगदान हैं। जल के बिना ग्रामीण विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। समग्र आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं विकास की प्रक्रिया में हितग्राहियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो। सिंचाई जल प्रबंधन में कृषकों की सक्रिय भागीदारी कृषक संगठनों के माध्यम से संभव हैं।

4.2 कृषकों की सक्रिय भागीदारी करने के उद्देश्य से "मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999" सितम्बर 1999 से तत्कालीन म.प्र. राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश में लागू किया गया एवं माह अक्टूबर–नवम्बर, 1999 में कृषक संगठन गठन नियम, 1999 तथा कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 प्रकाशित किए जाकर, अप्रैल, 2000 में 946 जल उपभोक्ता संथा अध्यक्ष एवं 6930 सदस्यों के चुनाव कराने के साथ, जून 2000 में सिंचाई प्रबंधन का कार्य, निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा गया।

4.3 छत्तीसगढ़ में जिलेवार जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या एवं कमाण्ड क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैं :–

स. क्र.	जिला	जल उपभोक्ता संथा की संख्या	कमाण्ड क्षेत्र (हे में)
1	2	3	4
1	रायपुर	179	254412
2	धमतरी	58	85583
3	महासमुन्द	55	45804
4	बस्तर	25	15670
5	दंतेवाड़ा	24	14266
6	कांकेर	32	25601
7	दुर्ग	139	201133
8	राजनांदगांव	70	74932
9	कवर्धा (कबीरधाम)	23	26660
10	बिलासपुर	93	166262
11	रायगढ़	30	30651
12	कोरबा	16	6729
13	जशपुर	31	14189
14	कोरिया	11	13392
15	सरगुजा	90	42201
16	जांजगीर–चांपा	69	101835
	योग	945	11,19,320

सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ए वं वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

<u>भाग – पांच</u>
<u>अभिनव योजना</u>

छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना :
<u>(एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित)</u>

छत्तीसगढ़ राज्य की पुरानी, लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिये छत्तीसगढ़ शासन के अनुरोध पर भारत शासन के माध्यम से एशियन विकास बैंक ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये 2002 में सहमति दी थी।

इन योजनाओं के वास्तविक आंकलन एवं तत् पश्चात् "वित्तीय–सहायता परियोजना प्रस्ताव" तैयार करने के लिये एशियन विकास बैंक ने 0.9 मिलियन डालर (4.05 करोड़ रूपये) के अनुदान स्वीकृत कर "परियोजना तैयारी तकनीकी सहायता (PPTA)" नामक परियोजना के लिये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया, जिनके द्वारा परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया था। विशेषज्ञ दल द्वारा पाया गया कि प्रदेश की निर्मित लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इनके जीर्णोद्धार से शत् प्रतिशत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रतिवेदन के आधार पर एशियन विकास बैंक ने "छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना" का प्रस्ताव तैयार कर छत्तीसगढ़ एवं भारत शासन के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य अंग निम्नलिखित है :–

1. लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन।
2- रबी फसल उत्पादन वृद्धि द्वारा कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी हेतु फसल चक्र परिवर्तन ए वं विविध कृषि कार्यक्रम के लिए कृषि सहायक सेवायें।
3- सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी का सुदृढ़ीकरण एवं जल उपभोक्ता संथाओं का सुधार।
4. जल ससांधन विभाग का पुर्नगठन एवं सशक्तिकरण।

छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के द्वारा सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 में संशोधन कर जल उपभोक्ता संथाओं को सकिय एवं मजबूत बनाया जायेगा तथा उनमें स्वामित्व की भावना लाई जायेगी।

इस परियोजना में 500 पुरानी सिंचाई योजनाओं के स्लुस द्वारों की मरम्मत तथा लगभग 200 लघु एवं 20 मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार किया जायेगा। तत्पश्चात् इन य ोजनाओं का संधारण एवं संचालन जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपा जाना प्रस्तावित है।

रबी कृषि उत्पादन में लगभग 3.5 गुना वृद्धि सहित 1.2 लाख कृषक परिवारों को लाभान्वित करना तथा लगभग 15,000 श्रमिकों के लिये रोजगार उपलब्ध कराना भी इस परियोजना का लक्ष्य हैं।

वर्तमान में नई दिल्ली में भारत शासन, छत्तीसगढ़ शासन एवं एशियन विकास बैंक के मध्य परियोजना प्रस्ताव एवं ऋण अनुबंध के मसौदों पर चर्चा पूर्ण हो चुकी है।

इस परियोजना की लागत लगभग 66.6 मिलियन डालर (299.70 करोड़ रूपये) हैं, जिससमें से एशियन विकास बैंक द्वारा 46 मिलियन डालर (207 करोड रूपये) का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। शेष 20.60 मिलियन डालर (92.70 करोड़ रूपये) केन्द्र शासन एवं राज्य शासन

का अंश होगा। परियोजना की क्रियान्वयन अवधि 7 वर्षों की होगी। परियोजना का कार्य अप्रेल 2006 से प्रारंभ होना संभावित है।

राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल :

छत्तीसगढ़ राज्य में बाढ़ का प्रकोप अन्य राज्यों की तुलना में कम है। अतः राज्य में बड़ी बाढ नियंत्रण योजनाओं की आवश्यकता नहीं होती। छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा दि. 16.4.02 द्वारा संकल्प जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल का गठन किया गया।

मंडल की प्रथम बैठक दि. 23.6.05 को आयोजित की गई, जिसमें 9 योजनाएं लागत रू. 533.51 लाख स्वीकृत की गई। मंडल की द्वितीय बैठक दि. 25.8.05 को संपन्न हुई, जिसमें 5 योजनायें लागत रू. 319.29 लाख स्वीकृत की गई। 9 योजनायें लागत रू. 1948.88 लाख तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा हेतु विचाराधीन है।

राज्य में सिंचाई के समन्वित विकास हेतु मास्टर प्लान :

राज्य में सिंचाई के महत्व तथा उपलब्ध जल राशि के अधिकतम उपयोग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सिंचाई मास्टर प्लान बनाने हेतु एजेन्सी निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही एजेंसी निर्धारित कर पूरे राज्य का समन्वित सिंचाई मास्टर प्लान आगामी दो वर्षों में तैयार करने के प्रयास किये जावेंगे।

भाग – छः

सारांश

6.1 प्रदेश का विकास मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है, जो बिना जल के संभव नहीं है । राज्य शासन द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य के वर्तमान 28.10 सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय स्तर (38%) के समतुल्य लाने के लिये विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य द्रुतगति से संपादित किये जा रहे हैं। राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में जल संसाधन के विकास कार्यों हेतु रू. 2455.62 करोड़ की आयोजना सीमा निर्धारित है तथा 3.60 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2005–06 में रू. 714.00 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

6.2 निर्माणाधीन योजनाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए उन्हें समयावधि में पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत नाबार्ड, केन्द्रीय सहायता तथा बाहरी वित्तीय संसाधनों से भी सहायता प्राप्त की गई है।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦